

छत्तीस-राज्यपालय

विषय :

याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 20170/2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य।

मान. मंत्री जी
का विभाग
सागर वि.

—00—

पंजी क्रमांक 272/2016/26-1 दिनांक 26/02/2016

—00—

डिप्टी रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ डिप्टी रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 20170/2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में प्रकरण विभाग में प्राप्त हुआ है।

3/ अतः उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नस्ती संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को अंकित करना चाहेंगे।

अनुभाग अधिकारी

26.2.16

उ0 स0

27.2.16

27.2.16

27/2/16

27/2/16

37/R 272/2016/26-1
27/02/16

संयुक्त निदेश

J.D.(K)

27/2/16

49
29/2/16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 20170/2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयांकित प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा संस्था की शिकायत के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू. पी. क0 20170/2015 याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी क0 1 पर यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, प्रतिवादी क0 2 पर सचिव, म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल, 1250 तुलसी नगर भोपाल प्रतिवादी क0. 3 पर उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग, प्रतिवादी क0 4 पर आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, भोपाल एवं प्रतिवादी क 5 पर कलेक्टर, सागर को प्रतिवादी बनाया गया है।

चूंकि प्रकरण सागर संभाग से संबंधित है, ऐसी स्थिति में शासन पक्ष समर्थन हेतु संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी करने का कष्ट करें।

her
संयुक्त संचालक

उप सचिव

*मा. प्र. म. प्र.**03**5/3/16*

5/3/16
5.3.16

283-84/2016/प्र
05/03/16

संयुक्त संचालक

जावक क. 1 न्याया - 1/2016/8

दिनांक 3.3.16

80
5/3/16

No. 143 DS/SJ/2015
Dated 5/3/16

*05**SO-II*

5.3.16
5/3/16

एफ-8-12/2016/26-1

कुब्बोस-२ सचिवालय

विषय :

याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी० 20170/2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

सहा. मेमो जी
का विभाग
सा. शा. वि.

—00—

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयों पर प्रकाश में दिनांक 5-3-2016 को प्रचारी अधिकारी को निम्नलिखित आदेश जारी कर दिये हैं।

P-39-42/C

2- विभाग द्वारा जारी आदेश पर विद्यमान विद्यार्थी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश प्राप्त किये जाने हेतु नवी विधि विभाग को अंकित किया जाना उचित होगा।

8-3-16

अ. व.

8/3/16

आदेशिका
30/3/16

8.3.16

विधि विभाग

9/3/16
DS

No. 203

9/03/2016

10/3/16

24/5

क्र. 10/3/16

○

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

रजिस्ट्रार की

http://172.16.180.43/cishcbom/Demo/menu.php

सामाजिक न्याय विभाग,

बंजी नं. 272/2016/2015

26/02/16

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 11907/2016

WP/20170/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

FOR ADM

Fixed for 02-03-2016

WP-DA-17

Respondent No. 2

To,

Secretary Social Justice And Empowerment
And Department Of Disability Affairs The
State Of Madhya Pradesh,
Tulsi Nagar, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/ 20170/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Seva Shikshan Prikshishan Punarwas Avam Anushandhan Samiti** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/20170/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **02-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully


27-1-16
DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 05/03/16

क्रं.एफ- 8 / 12 / 2016 / 26-1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्या क्रमांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में तयार की गई W.P. 20170/15 सेवा शिक्षण पुनर्कीर्ण एवं अनुदान समिति सागर विरुद्ध म.प्र.शासन में नियुक्त सचिव, सामाजिक न्याय, सागर संभाग को प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य के लिए उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शर्तों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और उक्त कांडेका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी प्रक्रा पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
- 2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय

-410-

अभिभाषक की सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा
(5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

- (6) प्रभारी अधिवक्ता निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा:-

क-वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट

ख-प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप

ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइलें करना प्रस्तावित है और तिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

घ-मामले में विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियाँ इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अदगत रखना।

- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विरिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उशी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

2

45 41-
यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंपने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।

(12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिकारता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी न रह जावे।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभाषक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभाषक मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कायंवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रोषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेश

(दबीता तसुनिया)

अवर सचिव

प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग